संख्या-36/2026/I/1303141/2026/11-4099/26/2025

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 20 अप्रैल, 2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहायता केन्द्र/विभागीय कार्यालय भवनों/आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य के मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य मद में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059-01-051-31-**सहायता केन्द्र/विभागीय कार्यालय भवनों/आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य** के मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य में प्रावधानित **रु0 100.00 लाख (रुपये एक करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95 दिनाक 25.11.2011 (यथा संशोधित) तथा फाइनेंसियल हैण्ड बुक में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य में अवमुक्त उपरोक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार लघु निर्माण कार्यों को कराया जाए।
2. कार्यों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों के अन्तर्गत कार्य पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ/सम्बंधित जोन के अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर की होगी।
3. आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ/सम्बंधित जोन के अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) न हो।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. अवमुक्त की जा रही धनराशि आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
6. अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक** 4059010513100 सहायता केन्द्र /विभागीय कार्यालय भवनों/आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य **मानक मद** 25 लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in